(3)

न्यायालय अपीलीय अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर(प्रथम) अलवर(राज.)

अपील संख्या 12/07/2022

कम्प्यूटर आई.डी. क्रमांकः 2022/11

अपीलार्थी

श्री रजनीश चौहान,
एडवोकेट, नि. 7–आई–43, जवाहर नगर,
श्रीगंगानगर (राज.)–335001

बनाम

प्रत्यर्थी

राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं
उपखण्ड अधिकारी नीमराना (अलवर)

प्रवेश तिथि :: 02.02.2022

प्रथम अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय

दिनांकः 17.02.2022

1. उभयपक्ष अनुपस्थित, प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से जवाब नोटिस प्राप्त हुआ जिसे अभिलेख पर लिया गया।
2. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का विशुद्ध परिशीलन किया।
3. अपीलार्थी ने अपने सूचना आवेदन दिनांकः 20.12.2021 के माध्यम से प्रत्यर्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर उनके न्यायालय में विचाराधीन मुकदमा अनवान शिशपाल बनाम पीरदान वगै. की समस्त फर्द अहकाम, पत्रावली में प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 212 आर.टी.एक्ट सं. 71/86 व अन्यादि कुल 7 बिन्दुओं पर सूचना चाही गई थी।
4. सूचना नहीं मिलने के आक्षेप पर अपीलार्थी द्वारा इस न्यायालय स्तर पर प्रथम अपील संस्थित कराई गई है।
5. उक्त प्रथम अपील के अनुक्रम में प्रत्यर्थी को नोटिस जारी कर जवाब चाहा गया।
6. प्रत्यर्थी की ओर से पत्र सं. आरटीआई/2022/257–58 दिनांकः 16.02.22 के माध्यम से अपील का जवाब प्रस्तुत कर जवाब की प्रति अपीलार्थी को भी पृष्ठांकित की गई है।
7. प्राप्त जवाब मय संलग्नक दस्तावेजात् का परीक्षण किया गया। प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के अपीलार्थी के सूचना आवेदन दिनांकः 20.12.2021 के परिप्रेक्ष्य में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 7(1) के तहत विनिर्दिष्ट समयावधि में विनिश्चय नहीं किया जाकर इस न्यायालय को प्रथम अपील प्रस्तुत करने उपरान्त पत्र सं. RTI/2022/250 दिनांकः 15.02.2022 के माध्यम से वांछित सूचना न्यायालय में विचाराधीन मुकदमे से संबंधित होने के कारण माननीय राज. सूचना आयोग, जयपुर के अपील प्र.सं. 3837/2011 निर्णय दिनांकः 27.08.2014, अपील सं. 101093/2020 निर्णय दिनांकः 23.12.2020 एवं राज्य सरकार के परिपत्र दिनांकः 12.10.20018 के आलोक में पृथक से रैवेन्यू कोर्ट मैनुअल के तहत प्रा0पत्र प्रस्तुत करने अथवा प्रश्नगत अनवान पत्रावली निरीक्षण कर चिन्हित करने हेतु निर्धारित शुल्क जमा कर नियमानुसार **विधिक विनिश्चय कर आवेदन अस्वीकार कर** अपीलार्थी को सूचित किया जा चुका है।
8. उक्त आलोक में प्रत्यर्थी द्वारा किया गया विनिश्चय उचित एवं पर्याप्त है। अपील निर्बल है।
9. अतः **अपील अस्वीकार की जाकर खारिज** की जाती है तथापि प्रत्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वो भविष्य में इस अधिनियम अंतर्गत प्राप्त आवेदनों पर निर्धारित समयावधि में ही विनिश्चय कर आवेदकों को सूचित करें।
10. आदेश की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
11. आज दिनांकः 17.02.2022 को निर्णय लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया तथा हस्ताक्षरित एवं मुद्रांकित किया गया।

(डॉ. सुनिता पंकज)
अपीलीय अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम), अलवर